न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या:— 97 / 2022 दर्ज दिनांक 21.11.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 996 निर्णय दिनांक 12.04.2023

दातार सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चंवरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

प्रार्थी

बनाम

भूमि धारक तहसीलदार तहसील गुढागौडजी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांक 12.04.2023**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 672 / 148 करबा 0.5730 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के अकेले के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है जो विरासत प्राप्त हुई हैं प्रार्थी की पैत्रिक भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दातार सिंह पुत्र बहादुर सिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र भादरसिंह गलत दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में दातारसिंह पुत्र बहादुर सिंह सही अंकित है। प्रार्थी के पिता भादर सिंह व बहादुर सिंह एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से दातारसिंह पुत्र बहादुर सिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र भादरसिंह गलत दर्ज हो गया है जिसको प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 672 / 148 रकबा 0.5730 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जर्द दातारसिंह पुत्र भादरसिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह दुरूस्त कर शुद्ध किया जाना प्रार्थनीय है। तद्नुसार तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई।

तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:18:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया ग्राम प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी के अकेले के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, जो कि प्रार्थी की पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दातारसिंह पुत्र बहादुर सिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र भादरसिंह गलत दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह सही अंकित है। प्रार्थी के पिता भादरसिंह व बहादुरसिंह एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम भूमि खसरा न. 672/148 के राजस्व रिकार्ड में दातारसिंह पुत्र भादरसिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह शुद्व/दुरूरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 672/148 प्रार्थी के अकेले के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र भादरसिंह गलत दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज जेसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड इत्यादि में दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह सही अंकित है। प्रार्थी के पिता भादरसिंह व बहादुर सिंह एक ही व्यक्ति है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम दातार सिंह पुत्र भादर सिंह के स्थान पर दातार सिंह पुत्र बहादुर सिंह किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दातारसिंह पुत्र भादरसिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह शुद्ध/दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि खसरा न. 672/148 रकबा 0.5730 है0 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम दातारसिंह पुत्र भादरसिंह के बजाय दातारसिंह पुत्र बहादुरसिंह शुद्व/दुरूरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढ़ागौड़जी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राजात बदस्तुर रहेंगे।

12/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12/4/23
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:18:14 IST
Reason: SelfAttested